



प्रेस नोट

थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक: 20.10.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना अलीगंज पुलिस एवं पीआरवी टीम की प्रभावी कार्यवाही में एयरटेल टावर से चोरी की गई 22 बैटरियां बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार; लगभग ₹7.50 लाख का माल बरामद।

पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर, सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री देवेश चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टाण्डा श्री प्रदीप सिंह चन्देल के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष अलीगंज सुनील कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना अलीगंज पुलिस एवं पीआरवी टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का अनावरण कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 22 बैटरियां तथा घटना में प्रयुक्त एक ऑटो बरामद किया गया।

इस कार्यवाही में पीआरवी कर्मियों की तत्परता एवं सक्रिय भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। पीआरवी कमाण्डर बोबी एवं आरक्षी उमाशंकर यादव द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए चोरी की गई बैटरियों की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई गई। साथ ही, एयरटेल टावर के कर्मचारी एवं मुकदमे के वादी अरबाज खान तथा अरसान ने भी कार्यवाही में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

घटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा बस स्टैंड टाण्डा के सामने, मोहल्ला कस्बा पश्चिम स्थित एयरटेल टावर (Indus ID: IN-2042669) से बैटरियां चोरी कर ली गई थीं। घटना के संबंध में थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 138/2026, धारा 303(2)/317(2)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 20.10.2026 को थाना अलीगंज पुलिस एवं पीआरवी टीम द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के दौरान चोरी की गई बैटरियों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई बैटरियां तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद हुआ। बरामद माल की अनुमानित कुल कीमत लगभग ₹7,50,000/- (सात लाख पचास हजार रुपये) है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राहुल जायसवाल पुत्र विनोद जायसवाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मोहल्ला अलीगंज, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. प्रमोद कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र जवाहिर लाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी कस्बा पश्चिम, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 138/2026, धारा 303(2)/317(2)/352 बीएनएस, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 21 अदद EXIDE बैटरी, 300AH, स्लेटी रंगा।
 2. 01 अदद AMARRAJA बैटरी, 600AH, काले रंग की।
 3. घटना में प्रयुक्त 01 अदद ऑटो, वाहन संख्या UP45AT 9481।
- बरामद बैटरियों की अनुमानित कीमत ₹ 7,50,000/-

अभियुक्त राहुल जायसवाल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 219/2019, धारा 279, 337, 427, 504, 506 भादवि, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. मु0अ0सं0 128/2020, धारा 379, 411 भादवि, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
3. मु0अ0सं0 289/2020, धारा 307, 506 भादवि, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
4. मु0अ0सं0 290/2020, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
5. मु0अ0सं0 303/2020, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
6. मु0अ0सं0 78/2025, धारा 351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. हे0मो0 आनन्द कुमार, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर।
2. पीआरवी आरक्षी कमाण्डर बोबी, 2W 8073
3. पीआरवी आरक्षी उमाशंकर यादव, 2W 8073